



2026:AHC-LKO:5254-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय**लखनऊ****रिट - ए संख्या - 430 सन 2026**

राम जी लाल कुशवाहा

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनामउत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व विभाग सरकार
लखनऊ एवं 5 अन्य

.....प्रतिवादी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता	:	हरि ओम गुप्ता, सचिन श्रीवास्तव
प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता	:	मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 1**माननीय न्यायमूर्ति राजन राँय**
माननीय न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी

1. सुनवाई हुई।
2. इस याचिका के माध्यम से याचिकाकर्ता ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा न्यायाधिकरण द्वारा दावा याचिका संख्या 333/1990; *रामजी लाल कुशवाहा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* के मामले में दिनांक 16.12.1997 को पारित निर्णय और आदेश को चुनौती दी है।
3. यह याचिका दिनांक 16.01.2026 को दायर की गई है। यद्यपि परिसीमा अधिनियम, 1963 के तहत निर्धारित परिसीमा अवधि लागू नहीं होती, फिर भी विलंब और लापरवाही का स्पष्टीकरण देना आवश्यक है, विशेषकर जब विलंब इस मामले की तरह अत्यधिक हो। यह याचिका आक्षेपित निर्णय के लगभग 27 वर्ष बाद दायर की गई है। वास्तव में, दिनांक 16.12.1997 के उपरोक्त निर्णय के अनुपालन में याचिकाकर्ता को दिनांक 30.04.1998 के आदेश द्वारा बहाल किया गया था। याचिकाकर्ता सेवा में

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

बने रहे और वर्ष 2012 में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त हुए। याचिकाकर्ता ने अब दिनांक 16.12.1997 के निर्णय को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की है, क्योंकि वह उक्त निर्णय के अंतिम खंड से आहत प्रतीत होता है, जिसके अनुसार उसे उक्त निर्णय से प्राप्त होने वाले किसी भी परिणामी सेवा लाभ से वंचित कर दिया गया है। 27 वर्षों के इस अत्यधिक विलंब का कोई तर्कसंगत स्पष्टीकरण नहीं है और बीमारी आदि के संबंध में दिया गया स्पष्टीकरण स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता ने न केवल सेवा में प्रवेश किया, बल्कि उसे पूरा करने के बाद 2012 में सेवानिवृत्त भी हुआ।

4. तदनुसार, याचिका विलंब और लापरवाही के आधार पर **खारिज** की जाती है।

[न्यायमूर्ति अब्धेश कुमार चौधरी]

[न्यायमूर्ति राजन राय]

जनवरी 22, 2026

अर्णिमा

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।